अध्याय 5

डीजेबी द्वारा परियोजना/कार्य निष्पादन

चंद्रावल में डब्ल्यूटीपी परियोजना साइट की मंज़ूरी न मिलने, डीपीआर में परिशोधन, वस्तुओं के विनिर्देशों में बदलाव, जेआईसीए और एमओयूडी से मंज़ूरी न मिलने के कारण विलंबित हुई। इसके अतिरिक्त, वज़ीराबाद डब्ल्यूटीपी के मामले में, निविदा को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण एशियाई विकास बैंक ने वित्तपोषण वापस ले लिया था। एनआईटी/निविदा शर्तों का पालन न करने के कारण अयोग्य संविदाकारों को कार्य सौंप दिया गया। जल/सीवरेज कार्यों के कुछ मामलों में, कार्य या तो पूरा होने से पहले ही बंद कर दिया गया या परियोजना के पूरा होने के बाद उपयोग में नहीं लाया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 52.33 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। लागत वृद्धि और स्थायी बिजली शुल्क के कारण संविदाकारों को ₹ 52.18 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया गया।

जल एवं सीवरेज परियोजनाओं की आवश्यकताओं का आकलन, स्थानीय निकायों एवं अन्य विभागों से समय पर अनुमोदन, यथार्थवादी आधार पर अनुमान तैयार करना, एनआईटी शर्तें तैयार करना तथा उचित निविदा प्रक्रिया, डीजेबी जैसे आवश्यक सार्वजनिक सेवा संगठन में परियोजनाओं की योजना बनाने के महत्वपूर्ण भाग हैं।

लेखापरीक्षा ने सीवरेज और जल आपूर्ति के अंतर्गत चयनित परियोजनाओं की जांच की और योजना तथा कार्यान्वयन चरणों में कमियां पाईं, जैसा कि आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

5.1 डब्ल्यूटीपी का निर्माण/पुनरुद्धार

5.1.1 चंद्रावल डब्ल्यूटीपी और उसके कमांड क्षेत्र का पुनरुद्धार

भारत सरकार (जीओआई)/दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) को जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) से चंद्रावल जल शोधन संयंत्र (डब्ल्यूटीपी) और उसके कमांड क्षेत्र के संबंध में सुधार परियोजना के लिए ¥ 28,975 मिलियन

(₹ 1,963 करोड़) का ओडीए (आधिकारिक विकास सहायता) ऋण प्राप्त हुआ (अक्टूबर 2012)। परियोजना को छह पैकेजों में विभाजित किया गया था। टोक्यो इंटरनेशनल कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड (टीईसी) को ₹ 70.03 करोड़ की निविदा लागत पर नौ वर्ष की अनुबंध अवधि के साथ परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) के रूप में नियुक्त किया गया (सितंबर 2013)। सभी पैकेजों के निर्माण कार्य/गतिविधियां नवंबर 2022 तक पूरी होनी थीं। मार्च 2022 तक परामर्शदाता को ₹ 57.65 करोड़ का भुगतान किया गया था।

लेखापरीक्षा में विभिन्न योजना चरणों में विलंब पाया गया, जैसा कि नीचे बताया गया है:

चरण	निर्धारित समय	विलंब महीने/पैकेज
डीपीआर की तैयारी (चरण-I)	जनवरी 2015 से अगस्त 2015 तक	9 महीने /(पैकेज-II) 17 महीने/ (पैकेज-IV) 18 महीने/ (पैकेज-V)
निविदा दस्तावेजों की तैयारी (चरण-II)	अक्टूबर 2017 से दिसंबर 2019 तक	27 महीने/ (पैकेज-II) 9 महीने/ (पैकेज- III) 19 महीने /(पैकेज- IV) 53 महीने /(पैकेज- V)
निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप देना (चरण-III)	नवंबर 2016 तक	31 महीने /(पैकेज-II) 24 महीने/ (पैकेज- III) 31 महीने/ (पैकेज- IV)

पैकेज II से V के क्रियान्वयन के प्रत्येक चरण में विलंब हुआ। इसके अतिरिक्त, डीजेबी ने निर्णय लिया कि पैकेज II से IV के आबंटन के बाद पैकेज V और VI के लिए एनआईटी आमंत्रित की जाएगी। पैकेज-I का कार्य 2 अगस्त 2019 को शुरू हुआ था और इसकी समापन तिथि 1 नवंबर 2022 थी। पैकेज II से IV का कार्य निविदा आमंत्रित किए जाने के बाद भी 31 मार्च 2022 तक नहीं दिया गया है क्योंकि निविदा को या तो रद्द कर दिया गया था या फिर से आमंत्रित किया गया था।

इस प्रकार, 2012 में संकल्पित एक परियोजना 13 वर्ष बाद भी क्रियान्वयन के प्रारंभिक चरण में ही थी, जिससे परियोजना की आवश्यकता पर ही संदेह उत्पन्न हो जाता है।

प्रभाग ने अपने उत्तर (अगस्त 2022) में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और कहा कि डीपीआर में परिशोधन और डीएसआर 2014 और 2016 के कार्यान्वयन आदि के कारण परियोजना में विलंब हुआ। इसके अतिरिक्त, जेआईसीए और एमओयूडी से अनुमोदन प्राप्त होने में विलंब हुआ। पैकेज-I के अंतर्गत निर्माण में विलंब साइट की मंज़ूरी, पेड़ काटने की अनुमति, कोविड आदि के कारण हुआ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विलंब के लिए बताए गए सभी कारण प्रशासनिक प्रकृति के थे। इसके अलावा, प्रभाग के उत्तर में संविदा की शर्तों से परे समय विस्तार देने के अलावा परामर्शदाता द्वारा दस्तावेज़ प्रस्तुत करने में विलंब और परामर्शदाता पर जुर्माना न लगाए जाने का कोई अन्य आरोप का उल्लेख नहीं है।

5.1.2 वज़ीराबाद डब्ल्यूटीपी का निर्माण और कमांड क्षेत्र में जल आपूर्ति

दिल्ली जल बोर्ड ने वज़ीराबाद डब्ल्यूटीपी और उसके कमांड क्षेत्र के संबंध में ₹ 2,243 करोड़ की अनुमानित लागत पर दिल्ली जल आपूर्ति सुधार निवेश कार्यक्रम को मंज़ूरी दी (मार्च 2014)। इस परियोजना को एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा वित्त-पोषित किया जाना था। मेसर्स एनजेएस कंसल्टेंट कंपनी लिमिटेड (जापान) को 72 महीने की परियोजना समापन अवधि के साथ परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता के रूप में चुना गया (दिसंबर 2016)। एडीबी ऋण आवश्यकता के अनुसार, डीजेबी को ऋण वार्ता के समय परियोजना की तत्परता प्राप्त करनी थी, जिसके लिए कुल परियोजना लागत का कम से कम 30 *प्रतिशत* मूल्य की संविदाओं का अवार्ड चरण में होना आवश्यक था। परियोजना को छह पैकेजों में विभाजित किया गया था।

प्रथम पैकेज प्रदान करने से परियोजना की तत्परता की आवश्यकता पूरी हो जाती जिसके लिए अगस्त 2017 में निविदाएं जारी की गई थीं। तथापि, पैकेज-I के लिए केवल एक ही बोली प्राप्त हुई और डीजेबी ने इस बोली का मूल्यांकन नहीं करने का निर्णय किया, बावजूद इसके कि एडीबी ने इसका मूल्यांकन करने का सुझाव दिया था। इस बोली का मूल्यांकन न करने के कारण, परियोजना की तत्परता की आवश्यकता पूरी नहीं हो सकी और उस समय ऋण वार्ता नहीं हो सकी। काफी विचार-विमर्श के बाद, एडीबी ने फिर से

बोली लगाने पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की। पैकेज-1 के लिए फिर से निविदा जारी करने और पैकेज-2 के लिए निविदा जारी करने के बाद, दोनों परियोजनाओं की मूल्य बोली मूल्यांकन रिपोर्ट नवंबर 2019 में एडीबी को भेजी गई और डीजेबी को दिसंबर 2019 में दोनों कार्यों को आबंटित करने के लिए एडीबी से एनओसी प्राप्त हुआ।

तथापि, बाद में (जून 2020) दोनों पैकेजों को प्रदान करने से बोर्ड ने इनकार कर दिया। एक और उलटफेर (अक्टूबर 2020) में, डीजेबी ने एडीबी को बोर्ड के निर्णय (सितंबर 2020) से अवगत कराया कि निविदाएं फिर से आमंत्रित की जाएंगी, जिस पर एडीबी ने उत्तर दिया कि उन्होंने इस परियोजना को वित्तपोषण के लिए अपनी परियोजनाओं की पाइपलाइन से हटा लिया है।

इस प्रकार, अनुमोदित बोलियों को अस्वीकार कर दिए जाने तथा डीजेबी द्वारा अनियमितता बरते जाने के कारण परियोजना तत्परता की आवश्यकता को पूरा करने में डीजेबी की विफलता के कारण, उसे एडीबी से महत्वपूर्ण पेय जल के लिए वित्तपोषण से वंचित होना पड़ा।

मामला जुलाई 2023 में सरकार को भेजा गया, उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2025)।

5.2 बिना औचित्य के अनुमानों में परिशोधन

जीएफआर 2017 के नियम 136 (1) में प्रावधान है कि कोई भी कार्य तब तक शुरू नहीं किया जाएगा जब तक कि कें.लो.नि.वि. या अन्य लोक निर्माण संगठनों द्वारा बनाई गई दरों की अनुसूची के आधार पर विभिन्न मदों की विस्तृत विनिर्देशों और मात्राओं वाले अनुमान तैयार नहीं किए जाते हैं और उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंज़ूरी नहीं दी जाती है।

मामलों की नमूना जांच से पता चला कि कार्यों के अनुमान उच्च स्तर पर या उचित तकनीकी औचित्य के बिना गणना किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना लागत का अधिक अनुमान लगाया गया, जैसा कि **तालिका 5.1** में दर्शाया गया है।

तालिका: 5.1: कार्यों के बढ़े हुए अनुमानों का विवरण

क्रम सं.	कार्य का नाम	बढ़े हुए अनुमान (₹ करोड़ में)	कारण
1.	पुनर्चक्रण संयंत्र (हैदरपुर-II डब्ल्यूटीपी) का संचालन एवं अनुरक्षण 10 वर्षों के लिए	3.86	बिना किसी औचित्य के पीएसी और क्लोरीन की मात्रा में वृद्धि।
2.	कच्चे जल के पंप हाउस (आरडब्ल्यूपीएच), इरादत नगर का संचालन एवं अनुरक्षण	1.62	योजना प्रभाग के अनुमोदन के विरुद्ध गाद निकालने के कार्य को बीओक्यू में शामिल करने के कारण।
3.	200 नलकूपों की स्थापना	4.98	बिना किसी औचित्य के नलकूप का आकार 600 मि.मी. से बढ़ाकर 1,200 मि.मी. कर दिया गया।
4.	25 नलकूपों की स्थापना	3.80	नलकूप और केसिंग पाइप का आकार बढ़ाने और कलेक्शन चैंबर आदि जैसी अतिरिक्त वस्तुओं को शामिल करने के कारण।
	कुल	**14.26**	

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्य के दायरे में बिना किसी औचित्य के तथा जीएफआर के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, लापरवाह और मनमाने ढंग से परिवर्तन किया गया।

5.3 कार्यों के आबंटन में अनियमितताएं

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा जारी निर्माण कार्यों की खरीद की नियमावली 2019 के पैरा 5.1.1 में प्रावधान है कि बोलियों का मूल्यांकन खरीद प्रबंधन के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है और बोली मूल्यांकन प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। सभी निविदाओं का मूल्यांकन निविदा दस्तावेज़ों में शामिल निबंधनों और शर्तों के आधार पर सख्ती से किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निविदाएं प्रदान करते समय डीजेबी द्वारा नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया, जैसा कि **तालिका 5.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.2: अनियमित रूप से कार्य सौंपे जाने का विवरण

क्रम सं.	अनियमितता की प्रकृति	कार्य का नाम	कार्य की लागत (₹ करोड़ में)	टिप्पणियां
1.	पूर्व अनुभव और वित्तीय मानदंडों का उल्लंघन	हैदरपुर में 16 एमजीडी पुनर्चक्रण संयंत्र और डब्ल्यूटीपी का ओ एंड एम[1]	39.62	फर्म के पास पुनर्चक्रण संयंत्र के संचालन एवं अनुरक्षण का अपेक्षित अनुभव नहीं था।
		2. 55 एमजीडी इरादत नगर कच्चे जल के इन्टेक पंप हाउस का ओ एंड एम	28.68	फर्म के पास अनुभव नहीं था और वह एनआईटी शर्तों के अनुसार वित्तीय मानदंडों को पूरा नहीं करती थी।
		3. जलाशयों का पुनरुद्धार।	39.78	संविदाकार ने अयोग्य संविदाकारों को काम उप-संविदा पर दे दिया।
		4. उत्तर और उत्तर-पश्चिम दिल्ली में परिधीय सीवर का पुनर्वास।	57.17	फर्म को सीआईपीपी लाइनिंग विधि के कार्य का कोई अनुभव नहीं था।
2	कें.लो.नि.वि. नियमावली की अनुमेय सीमा[3] का अनुपालन दर्शाने के लिए गलत औचित्य तैयार करना।	सोनिया विहार डब्ल्यूटीपी का 10 वर्षों तक पुनरुद्धार और संचालन एवं अनुरक्षण।	147.00[2]	यह कार्य औचित्य लागत (जे.सी.) (₹ 152.16 करोड़) के आधार पर दिया गया था, जिसमें सस्ती वस्तुओं की मात्रा कम करके और महंगी वस्तुओं की मात्रा बढ़ाकर वृद्धि की गई थी। निविदा में उल्लिखित मात्रा के आधार पर, जे.सी. ₹ 127.89 करोड़ आंकी गई थी, जो बोली को अनुचित (जे.सी. से 15 *प्रतिशत* अधिक) बनाती।

[1] संचालन एवं अनुरक्षण।

[3] कें.लो.नि.वि. नियमावली 2014 के पैरा 20.4.3.2 में प्रावधान है कि उचित दरों में 5 *प्रतिशत* तक के अंतर को नजरअंदाज किया जा सकता है। असाधारण स्थितियों और विशेष परिस्थितियों में 10 *प्रतिशत* तक के अंदर की अनुमति दी जा सकती है। ऐसा करने पर उसका कारण दर्ज किया जाएगा। इस सीमा से ऊपर की निविदाएं स्वीकार नहीं की जानी चाहिए।

[2] 10 वर्षों तक पुनरुद्धार कार्य के लिए ₹ 6.60 करोड़ तथा संचालन एवं अनुरक्षण के लिए ₹ 140.40 करोड़।

इस प्रकार, ऐसे संविदाकारों को कार्य सौंपे गए, जो निविदा शर्तों को पूरा नहीं करते थे और अनुचित दरों पर कार्य दिए गए, जिससे कार्य की गुणवत्ता के साथ-साथ बोर्ड पर परिहार्य वित्तीय बोझ पड़ा।

मामला जुलाई 2023 में सरकार को भेजा गया, उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2025)।

5.3.1 कार्यों का विभाजन

जीएफआर के नियम 137 में प्रावधान है कि अनुमोदन और संस्वीकृति के उद्देश्य से, कार्यों का एक समूह जो एक परियोजना बनाता है, उसे एक कार्य माना जाएगा। यह नियम मूल रूप से कार्यों को विभाजित करने के विरुद्ध चेतावनी देता है ताकि उच्च अधिकारियों की संस्वीकृति से बचा जा सके।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चार प्रभागों[4] में ₹ 5.75 करोड़ के समान प्रकृति के कार्यों को एक परियोजना में समूहीकृत नहीं किया गया था। इस प्रकार अगले उच्च प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने से बचने के लिए कार्यों को विभाजित किया गया।

डीजेबी ने कहा (मई 2023) कि बजट की कमी और विभिन्न क्षेत्रों के प्रभारी विभिन्न जेई/एई द्वारा साइट की आवश्यकता के अनुसार अनुमान तैयार करने के कारणों का हवाला देते हुए कार्यों का विभाजन जानबूझकर नहीं किया गया था।

डीजेबी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि कार्यपालक अभियंता प्रभाग का प्राथमिक निविदा प्राधिकारी है और विभिन्न क्षेत्रों के जेई/एई से प्राप्त अनुमानों को कार्यों को निविदा में सम्मिलित करते समय कार्यपालक अभियंता स्तर पर जोड़ा जाना चाहिए था।

5.4 कार्यों के निष्पादन में अनियमितताएं

डीजेबी द्वारा कार्यों के निष्पादन में देखी गई अनियमितताओं पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

[4] कार्यपालक अभियंता (ई एंड एम)-8, 9, 10 और 11 ।

5.4.1 संविदाकार को अनुचित लाभ

लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीजेबी ने तीन मामलों में संविदाकारों को अनुचित लाभ पहुंचाया, जैसा कि **तालिका 5.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.3: संविदाकारों को अनुचित लाभ

क्रम सं.	कार्य का विवरण	सम्मिलित राशि (₹ करोड़ में)	विसंगति का कारण
1.	182 एमएलडी अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र (डब्ल्यूडब्ल्यूटीपी), रिठाला का पुनरुद्धार और उन्नयन	0.14	फरवरी 2020 से मार्च 2021 के दौरान डब्ल्यूडब्ल्यूटीपी ने कभी भी निर्धारित मानकों यानी बीओडी ≤ 20 मि.ग्रा./लि., टीएसएस ≤ 30 मि.ग्रा./लि. को प्राप्त नहीं किया। तथापि, समझौते के अनुसार ₹ 14 लाख का परिसमाप्त हर्जाना वसूल नहीं किया गया।
2.	ओ एंड एम सहित कराला में 16.5 मिलियन लिटर क्षमता वाले यूजीआर/बीपीएस का निर्माण	2.15	₹ 2.9 करोड़ की लागत वाले ओ एंड एम कार्य को संविदा की शर्तों का उल्लंघन करते हुए डीजेबी की पूर्व स्वीकृति के बिना मात्र ₹ 75 लाख में उप-संविदा पर दे दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप संविदाकार को ₹ 2.15 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।
3.	महिपालपुर में यूजीआर/बीपीएस का निर्माण	1.04	डीजेबी ने माप पुस्तिका में पूर्ण किए गए कार्य की वास्तविक मात्रा दर्ज नहीं की और वास्तविक मात्रा के बजाय कार्य की प्रतिशतता के आधार पर एकमुश्त ₹ 1.04 करोड़ का भुगतान जारी कर दिया गया।
	कुल	**3.33**	

मामला जुलाई 2023 में सरकार को भेजा गया, उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2025)।

5.4.2 निष्फल/व्यर्थ व्यय

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित चार मामलों में पाया कि पुरोबंध और कार्य के दायरे से बाहर अतिरिक्त खरीद के कारण डीजेबी को ₹ 52.33 करोड़ का निष्फल/व्यर्थ व्यय उठाना पड़ा, जैसा कि **तालिका 5.4** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.4: व्यर्थ और निष्फल व्यय

क्रम सं.	कार्य का विवरण	सम्मिलित राशि (₹ करोड़ में)	विसंगति का कारण
1.	रैन्नी कुआं डब्ल्यू1 और डब्ल्यू2 से सोनिया विहार यूजीआर तक जल मेन की पी/एल	1.15	जल आपूर्ति की मुख्य लाइन बनने के बाद उसे रैन्नी कुआं डब्ल्यू1 और डब्ल्यू2 से नहीं जोड़ा गया। इसके अतिरिक्त, जल परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, रैन्नी कुआं डब्ल्यू2 का जल भी पीने लायक नहीं था, जिससे व्यय निष्फल हो गया।
2.	महरौली और वसंत विहार परियोजना क्षेत्रों में जल आपूर्ति के लिए सेवा स्तर में सुधार।	25.04	इस परियोजना का उद्देश्य मौजूदा अवसंरचना में सुधार करके प्रति दिन आठ घंटे जल की आपूर्ति प्रदान करना था। तथापि, सिविल कार्य पूरा होने से पहले ही काम रोक दिया गया था।
3.	बिजवासन और राजोकरी यूजीआर/बीपीएस के लिए एमएस/डीआई फीडर मेन और वितरण मेन बिछाना	23.29	पाइपलाइन बिछाने का कार्य संविदा अवधि समाप्त होने के बाद पूरा किए बिना ही बंद कर दिया गया, जिससे ₹ 23.29 करोड़ का व्यय व्यर्थ हो गया।
4.	फ्लोटिंग राफ्टर का उपयोग करके जलाशयों का पुनरुद्धार (चरण-I)	2.50	साइट की स्थिति के अनुसार, छह जलाशयों में 1,839 फ्लोटिंग राफ्टर्स की आवश्यकता थी, जिन्हें डीजेबी द्वारा आपूर्तित और स्थापित किया गया था। ₹ 2.50 करोड़ की लागत से खरीदे गए अतिरिक्त 1,375 फ्लोटिंग राफ्टर्स का उपयोग नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप निष्फल व्यय हुआ।
5.	कोंडली एसटीपी में एफआरपी सीलिंग संरचना का एसआईटीसी[5]	0.35	इस कार्य में एक मद जिसका नाम है "एसटीपी की गंध पैदा करने वाली इकाइयों को एफआरपी से ढंकना" पहले से ही शामिल था और अन्य कार्य के अंतर्गत निष्पादित किया गया था। इस दोहराव के परिणामस्वरूप कार्य ओवरलैप हो गया और ₹ 34.63 लाख का निष्फल व्यय हुआ।
	कुल	**52.33**	

मामला जुलाई 2023 में सरकार को भेजा गया, उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2025)।

[5] आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग।

5.4.3 अतिरिक्त/परिहार्य व्यय

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पांच कार्यों में, डीजेबी ने अनुचित नियोजन और निर्धारित समय के भीतर लक्ष्य की प्राप्ति न होने के कारण ₹ 40.88 करोड़ का अतिरिक्त/परिहार्य व्यय किया। इसके अलावा, डीजेबी ने परियोजना के समापन में विलंब के कारण लागत वृद्धि और इसके अलावा, तीन मामलों में लागत वृद्धि के कारण ₹ 11.30 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान भी किया। इन मामलों का विवरण **तालिका 5.5** में दिया गया है।

तालिका 5.5: संविदाकारों को अतिरिक्त और परिहार्य भुगतान के मामले

क्रम सं.	विसंगति की प्रकृति	कार्य का विवरण	सम्मिलित राशि (₹ करोड़ में)	विसंगति का कारण
1	अतिरिक्त/परिहार्य व्यय	मालवीय नगर यूजीआर के अंतर्गत कमांड क्षेत्र के लिए जल आपूर्ति में सेवा स्तर में सुधार	1.71	चूंकि जल आपूर्ति कवरेज को 84 *प्रतिशत* से 100 *प्रतिशत* तक पहुंचाने का लक्ष्य समय पर प्राप्त नहीं किया जा सका, इसलिए डीजेबी को मई 2015 से मई 2022 तक ₹ 1.71 करोड़ खर्च कर टैंकरों के माध्यम से जल आपूर्ति करनी पड़ी।
2		नांगलोई डब्ल्यूटीपी के अंतर्गत मौजूदा जल आपूर्ति, संचरण और वितरण नेटवर्क में सुधार और पुनरुद्धार	39.17	परियोजना के निष्पादन में अत्यधिक विलंब के परिणामस्वरूप परियोजना की समयावधि बढ़ानी पड़ी, जिसके कारण लागत वृद्धि के रूप में संविदाकार को ₹ 39.17 करोड़ का भुगतान करना पड़ा।
3	अतिरिक्त/अधिक भुगतान	कोंडली में 45 एमजीडी एसटीपी का डीबीओ	0.11	गलत लागत सूचकांक के प्रयोग के कारण लागत-वृद्धि का अधिक भुगतान।
4		ओखला में 564 एमएलडी डब्ल्यूडब्ल्यूटीपी का निर्माण	2.38	संविदाकार के अनुसार, उद्धृत मूल्य में जीएसटी शामिल था। परंतु लागत वृद्धि के लिए 'किए गए कार्य की लागत' की गणना करते समय, जीएसटी को शामिल नहीं किया गया और जीएसटी

क्रम सं.	विसंगति की प्रकृति	कार्य का विवरण	सम्मिलित राशि (₹ करोड़ में)	विसंगति का कारण
				सहित राशि पर वृद्धि का भुगतान किया गया। इसके कारण फर्म को ₹ 2.38 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया गया।
5		रिठाला चरण-I डब्ल्यूडब्ल्यूटीपी का पुनरुद्धार और उन्नयन	8.81	लागत वृद्धि के कारण संविदाकार को ₹ 8.81 करोड़ का भुगतान किया गया, यद्यपि सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 225 (viii) (एफ) के अनुसार यह देय नहीं था, क्योंकि संविदाकार को ब्याज मुक्त एकत्रीकरण अग्रिम का भुगतान किया गया था।
कुल			**52.18**	

मामला जुलाई 2023 में सरकार को भेजा गया, उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2025)।

5.4.4 वैधानिक वसूली की गैर-कटौती

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पांच मामलों में ₹ 1.51 करोड़ की वैधानिक वसूली नहीं काटी गई, जैसा कि **तालिका 5.6** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.6: संविदाकारों के बिलों से वैधानिक करों की कटौती न करने के मामले

क्रम सं.	कार्य का विवरण	सम्मिलित राशि (₹ लाख में)	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
1.	39 प्रवाह मापियों की आपूर्ति/स्थापना और संचालन एवं अनुरक्षण	1.84	आयकर अधिनियम की धारा 194सी के अंतर्गत संविदाकारों के बिलों से कोई कर नहीं काटा गया।
2.	उच्च पर्यवेक्षण के लिए विभागीय शुल्क/व्यावसायिक शुल्क	45.92	आयकर अधिनियम की धारा 194जे के अंतर्गत संविदाकार के बिलों से कोई कर नहीं काटा गया।
3.	एचपी-II और ईई (ई एंड एम-I) प्रभागों के 22 कार्य	14.36	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अनुसार संविदाकार के बिल से 1 *प्रतिशत* की दर से श्रम उपकर वसूल नहीं किया गया।

क्रम सं.	कार्य का विवरण	सम्मिलित राशि (₹ लाख में)	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
4.	मालवीय नगर यूजीआर के अंतर्गत कमांड क्षेत्र के लिए जल आपूर्ति में सेवा स्तर में सुधार	88.94	सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 51 के तहत जीएसटी पर टीडीएस नहीं काटा गया।
	कुल	**151.06**	

मामला जुलाई 2023 में सरकार को भेजा गया, उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2025)।

5.4.5 अन्य अनियमितताएं

डीजेबी द्वारा किए गए सीवर और जल संबंधी कार्यों के निष्पादन के दौरान निम्नलिखित विसंगतियां भी देखी गईं:

- बिजली शुल्क में कटौती के संबंध में डीजेबी के आदेश (अगस्त 2011) में यह निर्धारित किया गया था कि जहाँ तक संभव हो, अधिकतम मांग[6] संविदा मांग[7](10 *प्रतिशत* बफर के साथ) के करीब होनी चाहिए। तथापि, 11 मामलों में, स्थायी बिजली शुल्क के कारण ₹ 1.08 करोड़ का अतिरिक्त व्यय पाया गया क्योंकि स्वीकृत भार अधिकतम मांग से कहीं अधिक था।

- संविदा की शर्तों के अनुसार, जहाँ भी नियोक्ता का जल निर्माण और पीने के उद्देश्य के लिए संविदाकार को उपलब्ध कराया जाता है, वहाँ सिविल कार्यों की सकल राशि का एक *प्रतिशत* की दर से वसूली की जाएगी। नमूना जांच किए गए तीन मामलों में, रिकॉर्ड पर जल के बिल उपलब्ध न होने के बावजूद संविदाकारों से ₹ 1.13 करोड़ का जल शुल्क वसूल नहीं किया गया।

[6] अधिकतम मांग का अर्थ है तीस मिनट की लगातार अवधि के दौरान उपभोक्ता के आपूर्ति बिंदु पर किलो वोल्ट एम्पीयर (केवीए) या किलोवाट (केडब्ल्यू) में मापा गया उच्चतम औसत भार।

[7] संविदा मांग का तात्पर्य करार में उल्लिखित किलो वोल्ट या केवीए में मांग से है।

- दो मामलों में, 10 *प्रतिशत* साधारण ब्याज के प्रावधान वाले मानदंडों का उल्लंघन करते हुए संविदाकारों को ₹ 33.27 करोड़ का ब्याज मुक्त एकत्रीकरण अग्रिम प्रदान किया गया।

- महरौली और वसंत विहार परियोजना क्षेत्रों में जल आपूर्ति के लिए सेवा स्तर में सुधार के कार्य में, ₹ 37.44 लाख का सुरक्षित अग्रिम असमायोजित पाया गया। ₹ 1.78 करोड़ के मूल स्वीकृत कार्य से बीओक्यू में अस्वीकृत विचलन भी पाया गया।

- 318 एमएलडी (70 एमजीडी) डब्ल्यूडब्ल्यूटीपी कोरोनेशन पिलर के निर्माण कार्य में अनियमित अग्रिम भुगतान के कारण ₹ 52.53 लाख के ब्याज की हानि देखी गई, क्योंकि डीजेबी ने भुगतान अनुसूची के अनुसार देय राशि से अधिक भुगतान जारी कर दिया।

- विभिन्न कॉलोनियों/कॉलोनी समूहों में आंतरिक और परिधीय सीवर लाइन बिछाने और प्रदान करने वाले ₹ 205.09 करोड़ के छह कार्यों के निष्पादन में 6 से 91 महीने तक का विलंब देखा गया।

- ₹ 1,395 करोड़ की लागत वाली अंतर-अवरोधक सीवर परियोजनाओं (आईएसपी) में 11 वर्षों से अधिक का विलंब हुआ, क्योंकि केवल चार पैकेज (छह में से) ही डीजेबी को सौंपे गए थे।

- डीजेबी ने 50 एमजीडी की क्षमता के साथ द्वारका एसटीपी के दूसरे चरण को मंज़ूरी दी (जुलाई 2018), जिसमें एसटीपी[8] से निकलने वाले अपशिष्ट जल का उपयोग करने और वर्तमान में वज़ीराबाद डब्ल्यूटीपी को आपूर्ति किए जा रहे कुछ कच्चे जल को द्वारका डब्ल्यूटीपी में पथांतरित करने की योजना है। यह कार्य अगस्त 2021 में ₹ 280.78 करोड़ में मई 2023 की समापन तिथि के साथ आबंटित किया गया था। तथापि, डीजेबी द्वारा डब्ल्यूटीपी के लिए कच्चे जल की कोई व्यवस्था आज तक नहीं की गई और निर्माण कार्य अभी भी

[8] विभिन्न एसटीपी के माध्यम से जल को पल्ला (दिल्ली में प्रवेश बिंदु) के पास यमुना नदी में छोड़ा जाना था। इसके बाद, इसे वज़ीराबाद तालाब से उठाकर वज़ीराबाद डब्ल्यूटीपी और चंद्रावल डब्ल्यूटीपी में पेय जल के मानकों के अनुसार शोधित करने से पहले नदी के रास्ते में बहने दिया जाएगा।

प्रगति पर है। इस प्रकार, यदि परियोजना पूरी भी हो जाती है तो कच्चे जल की अनुपलब्धता के कारण डब्ल्यूटीपी का चालू होना संदिग्ध है।

मामला जुलाई 2023 में सरकार को भेजा गया, उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2025)।